



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2018/पौष 25, 1939

No. 204]

NEW DELHI MONDAY, JANUARY 15, 2018/PAUSAH 25, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2018

का.आ.230(अ)— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जिला मुख्यालय चंदौली से 65 किलोमीटर और वाराणसी से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा 96.066 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा का निर्धारण चकिया-नौगढ़ रोड से होता है। दक्षिणी सीमा पर चंद्रप्रभा बांध, चंद्रप्रभा नदी और पंटा नदी के बांए किनारे हैं। अभयारण्य की पूर्वी सीमा मिर्जापुर वन संभाग की सीमा को छूती है। उत्तरी सीमा में जैमोहिनी श्रेणी के आरक्षित वन और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य का संरक्षित क्षेत्र है। यह क्षेत्र

वन्यजीवों की कई प्रजातियों जैसे रीछ (मेलसस अरसिनस), बनैला सूअर (सस स्क्रोफा), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रज्ञास), चीतल (एक्सिस एक्सिस), चींकारा और भारतीय गजेल्ला (गजेल्ला गजेल्ला), सांभर (रुसा यूनीकोर्लर), चौसिंग मृग (टेटर/केरूस क्यूदरीकेरनीस), नीलगाय और ब्लू बुल (बोसेलाफुस टरागोसेमेलुस), घरियाल (गवीअलीस गंगेटीकूस), रांक पायथन (पायथन मूलरूस) आदि से समृद्ध है और अभयारण्य में लगभग 200 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। अभयारण्य में दो सुन्दर जल-प्रपात हैं जिन्हें राजदरी और देवदरी कहा जाता है। यह, अभयारण्य सफेदी मुसली, नागर मोथा, चीतावार, सतवार, सतपांजी, दंतीमुल, पीत पपेरा, बहरीगराज, सीबलींगी, अश्वागांधा, अगनीमांथ, अगरना, कंदारी, वारी हंसीया, ककअसा, गुमाची, अवाला, पुनार नीवामुल, सहजन, तसहु पुष्प, अमरबेल, हरसींगर पुष्प, कद, धातुरा, वांतुलासी, मासहपरानी, इंद्रा जय, रोहीनी, धामीन, जहींगान, केइरा, अपहो गुरमार, कवाती, गगेलुवा, काली गुलीसार, गुलाखारी, गुलीसार, तवी, त्रीभोदा, भरा नीभोदा चुआधार, माकरा, काकनी, गालपुनी, सासतरामुली, चीराट, सरपगंधा, काली मुसाली, आदि जैसी पौधों की प्रजातियों से समृद्ध है;

और, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र, को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है;

और, पूर्व में यह क्षेत्र एक समुद्री तट और चंदौली जिले के ग्रामों की दलदलीय राजस्व अपशिष्ट भूमि थी, और लवणता वृद्धि को रोकने और भूमि को सुधारने के लिए पूर्ववर्ती संत कबीर राज्य और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने तट पर एक सुधार बांध का निर्माण किया, जिसका अतीत में विद्यमान स्थिति में, उल्लेखनीय रूप से बदलाव और सुधार करके मीठे पानी के बड़े तालाब का रूप दिया गया और बदले में यह विभिन्न प्राकृतिक जलीय वनस्पतियों और इस क्षेत्र में कई प्रवासी और निवासी पक्षियों को आश्रय देता है और यह उनके ठहरने और बसेरे के लिए भी उपयुक्त है;

और, चंद्रप्रभा की आर्द्धभूमि पारिस्थितिकी-प्रणाली में शीत क्रहु में पलारक्टिक क्षेत्र से प्रवासी जलमुर्गियां आती हैं और यह आर्द्धभूमि पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय-स्थल और प्रजनन भूमि के रूप में कार्य करती हैं; और इस अभयारण्य में भारत के एक असामान्य ब्रीडर, ग्रेट क्रस्टेड ग्रेबे, (पोडिसप्स क्रिस्टटस), द्वारा प्रजनन की सूचना है;

और, 1956 में संत कबीर रियासत और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य सुधार बांध निर्मित किया गया था और विविध एवं असंख्य प्रवासी और निवासी पक्षियों के लिए इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए गुजरात सरकार ने इस क्षेत्र को दिनांक 27 मई, 1981 की सरकारी अधिसूचना सं एकेएच-81-डब्ल्यूएलपी-1081-102123/पी-2 और दिनांक 6 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना सं एकेएच-209/82-डब्ल्यूएलपी/1081/102123-वी-2 के द्वारा पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया था;

और, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा-1 में विविरित हैं, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण की दृष्टि से उपरोक्त संरक्षित क्षेत्र के आनुवंशिक संसाधनों के सुधार और संरक्षण स्थानीय प्रजातियों के पुनर्वास, पर्यावरण शिक्षा और पारिस्थितिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लक्ष्य से पर्यावास प्रबंधन द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों का संचालन तथा निषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में संत कबीर नगर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं--(1) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक के क्षेत्र तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन का परिधि क्षेत्र के बीच क्षेत्र 45.551 वर्ग किलोमीटर होगा।

(2) चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपांधंश I** में दिया गया है।

(3) चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र उसकी सीमाओं के ब्यौरे तथा अक्षांशों एवं देशांतरों के साथ, **उपांधंश II क-ग** के रूप में संलग्न है।

(4) चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपांधंश III क और उपांधंश III ख** में दिये गये हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले पांच ग्रामों की सूची **उपांधंश IV** के रूप में संलग्न हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – i. राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, तथा इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

ii. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

iii. आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थातः--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

iv. जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतरी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

v. आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी।

vi. आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागबानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना से संवर्धित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का व्यौरा दिया जाएगा।

vii. आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में पैरा 4 सूचीबद्ध प्रतिपिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

viii. आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

ix. आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

x. इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और
- (v) बड़ावा दिए गए और पैरा 4 में वर्णित क्रियाकलाप:

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के अन्य प्रामाणिक नियमों तथा विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावास- बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के जल आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होंगे।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र में किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) प्राकृतिक विरासत – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्ढे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपर्युक्त योजना बनायी जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हे आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(6) ध्वनि प्रदूषण -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण, संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विधंस अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विधंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विधंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय- समय पर संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात**: - वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन प्रदूषण**:- वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **बौद्योगिक ईकाइयां**:- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्हीं नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर-केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित या प्रोत्साहित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शासित होंगे तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	<p>(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या इंटें बनाना शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं;</p> <p>(ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।</p>
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमता नहीं होगी।</p> <p>जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुमता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।</p>
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

	उत्पादन या प्रसंकरण।	
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(x). विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के संनिर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।</p>
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>(ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुख सुविधाएं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप। <p>(ग) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण</p>

		उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (घ) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-विछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल विछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स को उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुकुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्सर्व का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्सर्व के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्सर्व का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होटिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलाप

29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के जारी होने के तीन माह के भीतर, एक निगरानी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:-

1.	जिला मजिस्ट्रेट, चंदौली	- अध्यक्ष;
2.	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंदौली	-सदस्य;
3.	पर्यावरण, जिसके अंतर्गत (विरासत संरक्षण भी है), के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
4.	लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, चंदौली	-सदस्य;
5.	पारिस्थितिकी विशेषज्ञ	-सदस्य;
6.	जैव विविधता विशेषज्ञ	-सदस्य;

7.	सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता, चंदौली	-सदस्य;
8.	जिला कृषि अधिकारी, चंदौली	-सदस्य;
9.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला चंदौली	-सदस्य;
10.	संभागीय वन अधिकारी, काशी वन्यजीव संभाग, रामनगर, वाराणसी	-सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल तथा इस अधिसूचना के पैरा-4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिछ्व गतिविधियों के सिवाय, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले क्रियाकलापों की, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और मामले को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिछ्व क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं किए गए क्रियाकलापों, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल-विशिष्ट के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और मामले को संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/37/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा का विवरण


उत्तर : पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित वन के उ 25°58'09.46" उ 83°03'42.79" पू से आरंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में जाती है और फिर चंद्रप्रभा नदी के जीपीएस बिंदु 24°58'48.78" उ 83°10'15.78" पू. पर पहुंचती है।

पूर्व : यह उपरोक्त बिंदु से चकिया-नौगढ़ मैटल सड़क (एस एच- 97) के जीपीएस बिंदु 24°57'42.06" उ 83°11'29.85" पू पर जाकर पूर्व-दक्षिण दिशा की ओर जाती है और फिर यह जमशोती ग्राम के जीपीएस बिंदु 24° 57' 14.94 उ और 83°11'43.50 पू". पर पहुंचती है।

दक्षिण: यह उपरोक्त बिंदु से हीनौतघाट ग्राम के जीपीएस बिंदु 24°54'48.78 उ" 83°09'48.30" पू के साथ दक्षिण की ओर जाती है। फिर यह समेरिया ग्राम के जीपीएस बिंदु 24°.53'53.34"उ और 83°07'54.36 पू" पर पहुंचती है और दक्षिण दिशा में जाकर यह खुथहर ग्राम के जीपीएस बिंदु 24°53'38.28" उ और 83°07'52.86" पू. पर पहुंचती है। इसके बाद यह सीमा चंद्रप्रभा बांध के जीपीएस बिंदु 24°53'43.90" उ 83°08'35.90" पू. से होकर गुजरती है।


पश्चिम: उपरोक्त बिंदु से यह खनेजमपुर के जीपीएस बिंदु 24°53'59.46"उ 83°04'20.46"उ पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में जाती है और पश्चिम-उत्तर दिशा में जाकर यह सुकरित ग्राम के जीपीएस बिंदु 24°54'36.97"उ 83°04'01.95"पू पर पहुंचती है। इसके बाद रेखा जीपीएस बिंदु 24°55'50.93"उ 83°03'20.31"पू और 24°56'03.41"उ 83°03'53.47"पू पर मिर्जापुर सं'ध्य097नलभाग के आरक्षित वन के साथ जाती है। इसके बाद, अंतरराज्यीय सीमा के साथ जाकर यह आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है।

भारतीय के सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के परिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र




सीमा विवरण और देशांतर और अक्षांश के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

**Eco Sensitive Zone Map of Chandraprabha Wildlife Sanctuary
Kashi Wildlife Division, Chandauli, Uttar Pradesh**



वनस्पति क्षेत्र के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III-क

सारणी क: मानचित्र पर दर्शये गये अनुसार चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा पर अक्षांश- देशांतर के मुख्य अवस्थान

चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के जीपीएस निर्देशांक		
जीपीएस बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
सी1	24°58' 09.462" उ	83°03' 42.793" पू
सी2	24°58' 18.248" उ	83°05' 08.145" पू
सी3	24°58' 29.863" उ	83°07' 01.175" पू
सी4	24°58' 40.599" उ	83°08' 45.842" पू
सी5	24°58' 50.045" उ	83°10' 18.116" पू
सी6	24°58' 32.992" उ	83°10' 17.810" पू
सी7	24°57' 55.267" उ	83°10' 14.909" पू
सी8	24°57' 55.159" उ	83°11' 17.131" पू
सी9	24°56' 40.675" उ	83°11' 21.275" पू
सी10	24°55' 56.442" उ	83°10' 49.606" पू
सी11	24°55' 11.233" उ	83°09' 52.596" पू
सी12	24°54' 18.810" उ	83°09' 03.064" पू
सी13	24°53' 42.374" उ	83°07' 59.164" पू
सी14	24°53' 15.335" उ	83°08' 11.972" पू
सी15	24°52' 47.816" उ	83°07' 46.614" पू
सी16	24°52' 30.482" उ	83°07' 24.672" पू
सी17	24°52' 30.288" उ	83°06' 56.106" पू
सी18	24°53' 07.199" उ	83°06' 26.338" पू
सी19	24°53' 40.283" उ	83°05' 56.656" पू
सी20	24°54' 18.050" उ	83°05' 50.795" पू
सी21	24°54' 13.871" उ	83°05' 16.530" पू
सी22	24°54' 18.184" उ	83°04' 46.474" पू
सी23	24°55' 02.572" उ	83°04' 27.304" पू
सी24	24°56' 00.539" उ	83°03' 54.648" पू
सी25	24°57' 07.967" उ	83°03' 44.453" पू

उपाबंध III-ख

सारणी ख: मानचित्र पर दर्शये गये अनुसार संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जौन की सीमा के साथ अक्षांश- देशांतर के मुख्य अवस्थान

पारिस्थितिकी संवेदी जौन के जीपीएस निर्देशांक		
जीपीएस विंडु कोड	अक्षांश	देशांतर
ई1	24° 58' 35.349" उ	83° 03' 21.246" पू
ई2	24° 58' 46.641" उ	83° 04' 26.286" पू
ई3	24° 58' 56.248" उ	83° 05' 59.684" पू
ई4	24° 59' 07.944" उ	83° 07' 53.612" पू
ई5	24° 59' 18.821" उ	83° 09' 39.791" पू
ई6	24° 59' 08.631" उ	83° 10' 47.357" पू
ई7	24° 58' 24.463" उ	83° 10' 56.270" पू
ई8	24° 57' 53.555" उ	83° 12' 03.647" पू
ई9	24° 56' 04.850" उ	83° 11' 45.821" पू
ई10	24° 55' 21.513" उ	83° 10' 44.706" पू
ई11	24° 54' 18.783" उ	83° 09' 59.867" पू
ई12	24° 53' 41.762" उ	83° 09' 03.172" पू
ई13	24° 52' 43.559" उ	83° 08' 31.395" पू
ई14	24° 52' 15.477" उ	83° 07' 56.907" पू
ई15	24° 51' 59.757" उ	83° 07' 08.283" पू
ई16	24° 52' 33.133" उ	83° 06' 15.867" पू
ई17	24° 53' 03.647" उ	83° 05' 42.960" पू
ई18	24° 53' 39.328" उ	83° 05' 19.259" पू
ई19	24° 53' 46.108" उ	83° 04' 40.107" पू
ई20	24° 54' 17.444" उ	83° 04' 08.462" पू
ई21	24° 55' 16.508" उ	83° 03' 44.194" पू
ई22	24° 56' 31.931" उ	83° 03' 14.134" पू
ई23	24° 57' 37.267" उ	83° 03' 06.809" पू

उपाबंध IV**भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची**

ग्राम जीपीएस कोड	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
a.	हसुवा	24° 53' 43.901" उ	83°08' 35.902" पू
b.	हीनायतघाट	24° 54' 48.780" उ	83°09' 48.301" पू
c.	जमसोटी	24° 57' 14.940" उ	83°11' 43.501" पू
d.	जंगल चुरीया	24° 59' 20.562" उ	83°10' 08.573" पू
e.	खान- अजमपुर	24° 53' 59.460" उ	83°04' 20.460" पू
f.	सुकरित	24° 54' 36.976" उ	83°04' 01.952" पू
g.	तलरा	24° 59' 16.001" उ	83°10' 38.201" पू

उपाबंध-V**पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत् : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत् को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निवटाए गए मामलों का सारा विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सारा । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सारा । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2018

S.O. 230(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Chandraprabha Wild Life Sanctuary is situated about 65 Km from the district Head Quarter Chandauli and about 75 Km from the Varanasi and is spread over an area of 96.066 square kilometers;

AND WHEREAS, The eastern boundary of Chandraprabha Wild Life Sanctuary is formed by Chakia-Naugarh road. Chandraprabha dam, Chandraprabha River and the left banks of Phanta River are on the southern boundary. The eastern boundary of the sanctuary touches the boundary of Mirzapur Forest Division. The northern boundary is surrounded by the reserve forest of Jaimohani Range and the protected area of Chandraprabha Wild Life Sanctuary. The area is rich in several species of wildlife such as Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Wild Boar (*Sus scrofa*), Leopard (*Panthera pardus*), Chital (*Axis axis*), Chinkara or Indian Gazella (*Gazella gazelle*), Sambar (*Rusa unicolor*), Four-horned Antelope (*Tetracerus quadricornis*), Nilgai or Blue Bul (*Boselaphus tragocamelus*), Gharial (*Gavialis gangeticus*), Rock python (*Python molurus*) etc. and about 200 species of birds are also found in the sanctuary. Two beautiful waterfalls called Rajdari and Devdari are situated in the sanctuary. The Sanctuary is rich with plant species like White Musli, Nagar Motha, Chitawar, Satawar, Satpanji, Dantimul, Pit Papara, Bhringraj, Shivlingi, Ashwagandha, Aganimanth, Agarna, Kandari, Bari Hansiya, Kakanasa, Gumachi, Awala, Punar Nivamul, Sahjan, Tashu Flower, Amarbel, Harsingar Flower, Kad, Dhatura, Vantulasi, Mashparani, Indra Jau, Rohini, Dhamin, Jhingan, Kaira, Apho Gurmar, Kawati, Gageluwa, Kali Gulisar, Gulakhari, Gulisar, Tavi, Tribhoda, Bra Nibhoda Chuadhara, Makra, Kakani, Galphuni, Sastramuli, Chirata, Sarpgandha, Kali musali, etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area **up to one kilometre** from the boundary of the protected area of Chandraprabha Wild Life Sanctuary as Eco-sensitive Zone from the ecological and environmental point of view.

AND WHEREAS, formerly this area was a sea-coast and marshy revenue waste land of villages of Chuanduali district and to prevent salinity ingress and to reclaim the land the erstwhile Sant Kabir State and subsequently the Government of Uttar Pradesh constructed a reclamation bund along the coast, which made a remarkable change and improvement in the situation that prevailed in the past as large pond of freshwater has emerged and this supports a variety of natural aquatic vegetation which in turn supports numerous migratory and resident birds in this area and it is also suitable for their roosting and nesting;

AND WHEREAS, the wetland eco-system of Chandraprabha is a wintering ground for migratory waterfowls from Palearctic region and serves as an important wintering and breeding ground for many species of wetland birds; and an uncommon breeder in India, Great crested grebe, (*Podiceps cristatus*), is reported breeding in this sanctuary ;

AND WHEREAS, Chandraprabha Wildlife Sanctuary reclamation bund was constructed by the Princely State of Sant Kabir and Government of Maharashtra in 1956 and on realizing the importance of the

area for the vivid and numerous migratory as well as resident birds, the Government of Gujarat declared this area as Bird Sanctuary vide Government notifications No. AKH-81-WLP-1081-102123/P-2 dated the 27th May, 1981 and AKH-209/82-WLP/1081/102123-V-2, dated the 6th November, 1982;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Chandraprabha Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of above protected area, reintroduction and rehabilitation of local species, promotion of environmental education and ecological research and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to one kilometre from the boundary of the protected area of Chandraprabha Wild Life Sanctuary Sant Kabir Nagar in the state of Uttar Pradesh as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. —

- (1) Eco-sensitive Zone shall be with a peripheral area of **45.551 square kilometres** between the area up to **one kilometre** from the boundary of the protected area.
- (2) The boundary description of Chandraprabha Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure- I**.
- (3) The map of Chandraprabha Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-C**.
- (4) The Geo-coordinates of Chandraprabha Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure III- A and Annexure III-B**.
- (5) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

- i. The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- ii. The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- iii. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
 - (a) Environment;
 - (b) Forest and Wildlife;
 - (c) Agriculture;
 - (d) Revenue;
 - (e) Urban Development;
 - (f) Tourism;
 - (g) Rural Development;
 - (h) Irrigation and Flood Control;
 - (i) Municipal;
 - (j) Panchayati Raj; and
 - (k) Public Works Department.
- iv. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

- v. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- vi. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- vii. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- viii. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- ix. The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- x. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) small scale industries not causing pollution;
 - (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (v) promoted activities and given in paragraph 4;
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

- (11) **Plastic Waste Management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) **Industrial Units.** –
- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of Hill Slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
 - (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
- 4. Prohibited, Regulated and Promoted Activities:-**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining	<p>(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for the manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs.</p>

		UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer; (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.

10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees	<p>a. There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>b. The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
17.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
27.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it

		shall be regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
34.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government within three months of this Notification, constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the final notification, comprising of the following, namely:-

1.	District Magistrate, Chandauli	Chairman
2.	Superintendent of Police/ Senior Superintendent of Police, Chandauli	Member
3.	One representative of a Non-Governmental Organization (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India	Member
4.	Executive Engineer of PWD, Chandauli	Member
5.	Expert Ecology	Member
6.	Expert Biodiversity	Member
7.	Executive Engineer of Irrigation Department, Chandauli	Member
8.	District Agriculture Officer, Chandauli	Member
9.	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Chandauli	Member
10.	Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi	Member Secretary

6. Terms of Reference. -

- (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th

September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure VI.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/37/2017-ESZ]

LALIT KAPUR , Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North : The Boundary of eco-sensitive zone starts at N 25°58'09.46" N 83°03'42.79" E on protected forest of Chandraprabha Wild Life Sanctuary and runs on north-east direction till it reaches the At Chandraprabha River at the GPS point 24°.58'48.78" N 83°10'15.78"E.


East : From the above point the lines runs southwards at the Chakia-Naugarh metal road (Sh-97) at the GPS point 24°57'42.06" N 83°11'29.85" E and runs on east-south direction till it reaches the point of the village Jamsoti at the GPS points 24° 57' 14.94 N and 83°11'43.50 E".

West: From the above point the boundary runs South-west direction at Khaneajampur at the GPS point 24°53'59.46"N 83°04'20.46"N and runs on West-north direction till it reaches the village Sukrit at the GPS point 24°54'36.97"N 83°04'01.95"E. Then lines runs along with reserve forest of Mirzapur division at the GPS points 24°55'50.93"N 83°03'20.31"E and 24°56'03.41"N 83°03'53.47"E. Then, runs all along the interstate boundary till it reaches the starting point.

South: From the above point the boundary runs South along the village Hinautghat at the GPS point 24°54'48.78 N" 83°09'48.30" E till it reaches the point of the village Semariya at the GPS point 24°.53'53.34"N and 83°07'54.36 E" and runs on south direction till it reaches the point of the village Khuthahar at the GPS point 24°53'38.28" N and 83°07'52.86" E. Further boundary runs through the Chandraprabha Dam the GPS point 24°53'43.90" N 83°08'35.90" E.

ANNEXURE- II A


MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET




ANNEXURE- II B

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH BOUNDARY DETAILS AND LONGITUDES AND LATITUDES

Eco Sensitive Zone Map of Chandraprabha Wildlife Sanctuary Kashi Wildlife Division, Chandauli, Uttar Pradesh



ANNEXURE II C

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF VEGETATION COVER


ANNEXURE III-A

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Chandraprabha Wildlife Sanctuary as shown on Map

GPS Coordinates of Chandraprabha Wildlife Sanctuary		
GPS Point Code	Latitude	Longitude
C 1	24°58' 09.462" N	83°03' 42.793" E
C2	24°58' 18.248" N	83°05' 08.145" E
C3	24°58' 29.863" N	83°07' 01.175" E
C4	24°58' 40.599" N	83°08' 45.842" E
C5	24°58' 50.045" N	83°10' 18.116" E
C6	24°58' 32.992" N	83°10' 17.810" E
C7	24°57' 55.267" N	83°10' 14.909" E
C8	24°57' 55.159" N	83°11' 17.131" E
C9	24°56' 40.675" N	83°11' 21.275" E
C10	24°55' 56.442" N	83°10' 49.606" E
C11	24°55' 11.233" N	83°09' 52.596" E
C12	24°54' 18.810" N	83°09' 03.064" E
C13	24°53' 42.374" N	83°07' 59.164" E
C14	24°53' 15.335" N	83°08' 11.972" E
C15	24°52' 47.816" N	83°07' 46.614" E
C16	24°52' 30.482" N	83°07' 24.672" E
C17	24°52' 30.288" N	83°06' 56.106" E
C18	24°53' 07.199" N	83°06' 26.338" E
C19	24°53' 40.283" N	83°05' 56.656" E
C20	24°54' 18.050" N	83°05' 50.795" E
C21	24°54' 13.871" N	83°05' 16.530" E
C22	24°54' 18.184" N	83°04' 46.474" E
C23	24°55' 02.572" N	83°04' 27.304" E
C24	24°56' 00.539" N	83°03' 54.648" E
C25	24°57' 07.967" N	83°03' 44.453" E

ANNEXURE III-B

Table B: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Eco-sensitive Zone of the Protected Area shown on Map

GPS Coordinates of Eco-Sensitive Zone		
GPS Point Code	Latitude	Longitude
E1	24° 58' 35.349" N	83° 03' 21.246" E
E2	24° 58' 46.641" N	83° 04' 26.286" E
E3	24° 58' 56.248" N	83° 05' 59.684" E
E4	24° 59' 07.944" N	83° 07' 53.612" E
E5	24° 59' 18.821" N	83° 09' 39.791" E
E6	24° 59' 08.631" N	83° 10' 47.357" E
E7	24° 58' 24.463" N	83° 10' 56.270" E
E8	24° 57' 53.555" N	83° 12' 03.647" E
E9	24° 56' 04.850" N	83° 11' 45.821" E
E10	24° 55' 21.513" N	83° 10' 44.706" E
E11	24° 54' 18.783" N	83° 09' 59.867" E
E12	24° 53' 41.762" N	83° 09' 03.172" E
E13	24° 52' 43.559" N	83° 08' 31.395" E
E14	24° 52' 15.477" N	83° 07' 56.907" E
E15	24° 51' 59.757" N	83° 07' 08.283" E
E16	24° 52' 33.133" N	83° 06' 15.867" E
E17	24° 53' 03.647" N	83° 05' 42.960" E
E18	24° 53' 39.328" N	83° 05' 19.259" E
E19	24° 53' 46.108" N	83° 04' 40.107" E
E20	24° 54' 17.444" N	83° 04' 08.462" E
E21	24° 55' 16.508" N	83° 03' 44.194" E
E22	24° 56' 31.931" N	83° 03' 14.134" E
E23	24° 57' 37.267" N	83° 03' 06.809" E

ANNEXURE IV
LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH
GEO-COORDINATES

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a.	Hasuahwa	24° 53' 43.901" N	83° 08' 35.902" E
b.	Hinautghat	24° 54' 48.780" N	83° 09' 48.301" E
c.	Jamsoti	24° 57' 14.940" N	83° 11' 43.501" E
d.	Jangal Churiya	24° 59' 20.562" N	83° 10' 08.573" E
e.	Khane Azampur	24° 53' 59.460" N	83° 04' 20.460" E
f.	Sukrit	24° 54' 36.976" N	83° 04' 01.952" E
g.	Talra	24° 59' 16.001" N	83° 10' 38.201" E

Annexure V**Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.